

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 39/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. ... (अ) केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान करते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट निम्नलिखित अधिसूचना को उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधित करती है, अर्थात् :--

क्र.सं. (1)	अधिसूचना सं. और तारीख (2)	संशोधन (3)
1	3/57-सीमाशुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1957	उक्त अधिसूचना में-- (i) "सागर सीमाशुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का 8) की धारा 23" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ; (ii) "धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क" शब्दों और अंक के स्थान पर "उस पर धारा 3 की क्रमशः उपधारा (7) और उपधारा (9) के अधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर तथा माल और सेवा प्रतिकर उपकर" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ; (iii) सारणी में "सागर सीमाशुल्क अधिनियमकी धारा 75" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं "सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(रुचि विष्ट)  
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :

1. मूल अधिसूचना सं० 3/57-सीमाशुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1957 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा०का०नि० 98 (अ), तारीख 8 जनवरी, 1957 में प्रकाशित की गई थी। इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं० 36/90-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 27 जून, 1990 द्वारा किया गया था, जिसे भारत में राजपत्र, असाधारण सा०का०नि० 266(अ), तारीख 27 जून, 1990 द्वारा प्रकाशित किया गया था।